विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर
लखनऊ–226010
CIN : U32201UP1999SGC024928

(विज्ञापन सं० 03/VSA/2021/LE)

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेखा संवर्ग के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा चयन हेतु **निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों** से आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं0	पदनाम	अनारक्षित	ई0डब्लू0 एस0	अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर)	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति
1	उप महाप्रबन्धक (लेखा) (DEPUTY GENERAL MANAGER) (ACCOUNTS)	05	00	02	01	00
2	उपमुख्य लेखाधिकारी (DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER)	07	01	03	02	00

❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।

❖ **आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।**

❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

1. उप महाप्रबन्धक (लेखा) पद हेतुः–

(क) वेतनमानः–सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 में वेतनमान रू0 1,31,100–2,16,600 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू, नियमानुसार देय होगें।

(ख)अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:– आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

(1) देवनागरी लिपि में हिन्दी का समुचित सम्यक ज्ञान।

(2) सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्लू0ए0)/एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।

(3) **अनुभव**–सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 15 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रू0 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

(4) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नयी नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय

ESCUPPCL
विद्युत सेवा आयोग
सचिव
2021

हित लाभ संरक्षित नहीं किये जायेंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

(ग) आयु : दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम 50 वर्ष।

2. उपमुख्य लेखाधिकारी पद हेतुः–

(क) वेतनमानः– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में वेतनमान रू0 1,23,100–2,15,900 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू, नियमानुसार देय होगें।

(ख) अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:– आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

(1) देवनागरी लिपि में हिन्दी का समुचित सम्यक ज्ञान।

(2) सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्लू0ए0)/एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।

(3) **अनुभव**–सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 11 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रू0 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

(4) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नयी नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जायेंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

(ग) आयु : दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम 46 वर्ष।

3.अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट : उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।

4. आरक्षण :–

(क) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। **वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।**

(ख)अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

नोटः–नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरूद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

5. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2.	उत्तर प्रदेश के सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन
3.	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन

(1)आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0/वालेट के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2021 उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0

6. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :–

ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले **अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अस्थायी रुप से** (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र साक्षात्कार में सम्मिलित होने से चयन का अधिकार प्राप्त नही हो जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ साक्षात्कार के समय जमा करायी जायेगी। साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8. चरित्र : अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. वैवाहिक स्थिति : ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी जो विधि –विरूद्व एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

10. चयन प्रक्रिया: उपरोक्त दोनों पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

11. आवेदन कैसे करें: कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. '03/VSA/2021/LE' FOR THE POST OF DEPUTY GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली–भॉति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने के लिये पृथक आवेदन किये जाने होंगे।

12. प्रवेश पत्र : साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र की सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई–मेल एवं SMS पर प्रेषित की जायेंगी। बुलावा पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

13. अन्य विशेष सूचना :

(1)अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2)केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

(3)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (निर्धारित संलग्न प्रपत्र में) की मूल प्रतियॉ तथा एक–एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

(5)अभिलेखों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2021 उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0

(6)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु ई–मेल **helpdesk.dgmle@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

14. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	20-03-2021 से 09-04-2021
2	नेट बैंकिंग / यू0पी0आई0 / वालेट / इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ–	20-03-2021 से 09-04-2021

सचिव

पत्रांक: 343 / विसेआ / 03/VSA/2021/LE दिनांक: 16/03/.2021

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2021 उ० प्र० पावर कार्पोरेशन ESCUPPCL

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION